न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 1887/2017

प्रार्थीगण :–

1. अमराराम पुत्र पोकरराम जाति जाट
   आयु 34 वर्ष निवासी ग्राम डिगरना
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सुखाराम पुत्र केसाराम जी फौत के
   कायम मुकामान–
   1/1– भूण्डाराम पुत्र सुखाराम जी
   1/2 – रामदेव पुत्र सुखाराम जी
   1/3 – शांति पुत्री सुखाराम जी
   1/4 – छोटीदेवी पुत्री सुखाराम जी
   1/5 – शोभादेवी पुत्री सुखाराम
   1/6 – सोहनी पत्नि सुखाराम जी
2. सीतादेवी पत्नि प्रहलादराम
3. इन्द्रादेवी पत्नि धर्माराम
4. इन्द्रादेवी पत्नि अरविन्द कुमार
5. मादाराम पुत्र रामाराम
   जातियान–मेघवाल,
   निवासीगण–डिगरना
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
6. पुखाराम पुत्र आदूराम
7. दुर्गाराम पुत्र आदूराम फौत के
   कायम मुकामान–
   7/1 – परमाराम पुत्र दुर्गाराम
   7/2 – अल्पूराम पुत्र दुर्गाराम
   7/3 – सुरेश पुत्र दुर्गाराम
   7/4 – नवीन पुत्र दुर्गाराम
   जातियान मेघवाल
   निवासीगण फालका तहसील
   जैतारण जिला पाली (राजस्थान)
8. तहसीलदार जैतारण जिला पाली
   (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 04/12/2017

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णयः– **दिनॉकः 15/03/2018**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 498/1 रकबा 5–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जा सम्पूर्ण आराजी अकेले प्रार्थी के हक हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

की हैं। जिसे प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद किया हैं। तब से लेकर आज दिन तक ही प्रार्थी का ही कब्जा व काश्त चला आ रहा है। नकल जमाबंदी व नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। आराजी के पडौस में चिपते ही अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 497 रकबा 13-14 बीघा व खसरा 496 रकबा 3-15 बीघा आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी में अप्रार्थीगण रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। तथा मौके पर उनका कब्जा व काश्त है। नकल जमाबंदी व नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी ने उपरोक्त आराजी खरीद करने के बाद मौके पर कब्जा प्राप्त किया । एवं अपनी आराजी में काश्त करना शुरु कर दिया उसके बाद अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी से सीमा को लेकर विवाद करने लगे, तथा अप्रार्थीगण ने तो प्रार्थी की आराजी के कुछ भाग में अर्थात् खसरा नम्बर 498/1 की माठ को भी तोड़ दिया एवं सीमा को लेकर विवाद करने लग गये जिसका प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को समझाया एवं नाप चौप करवाने बाबत भी निवेदन किया। परन्तु उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की सीमा को लेकर विवाद करने लग गये। तब प्रार्थी ने तहसीलदार जैतारण को अपनी आराजी का नाप चौप करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। परन्तु तहसीलदार ने कहा कि जब सभी पक्षकारान सहमत हो तो ही हम नाप चौप कर सकते है। जबकि अप्रार्थीगण नापचौप पर भी सहमत नहीं हो रहे है। एवं प्रार्थी की आराजी की माठ को तोड़कर धीरे धीरे प्रार्थी की जमीन को अपनी जमीन में मिलकार कब्जा कने को आमादा है। प्रार्थी द्वारा जब भी अपनी आराजी में काश्त करने के लिए अपने साधन लेकर खेत मं जात हैं तो अप्रार्थीगण बिना किसी वजह के विवाद करते है। एवं प्रार्थी की आराजी के चारों तरफ लगी मेड़बंदी को भी प्रार्थी ने दिनांक 18.11.2017 को बिखेर दिया एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच की माठ पर खड़े पेड़ पौधों को भी काट दिया एवं अप्रार्थीगण जबरन जानबुझकर आये दिन प्रार्थी की मेड़बंदी को बिखेर देते है तथा हर तरह से आये दिन प्रार्थी की आराजी में सीमा के विवाद को लेकर दखलअंदाजी व हस्तक्षेप करते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण जानबुझकर प्रार्थी की आराजी को झड़प करने की नियत से आये दिन वाद विवाद व दखलअंदाजी कर सीमा विवाद करते है। यदि अप्रार्थीगण इस तरह प्रार्थी की मेड़बंदी को हटाकर सीमा विवाद करेगे एवं मौके पर पत्थरगढी नहीं करने देगें तो प्रार्थी को अपनी आराजी में काश्त करने में कठिनाईयां एवं दिक्कतें होगी। इस प्रकार से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मौके पर कराने सीमाज्ञान, पत्थरगढी एवं माठ कायम कराने का श्रीमान के समक्ष बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्राथीगण के सादर पेश हैं। अप्रार्थीगण हल्का पटवारी से नाप चौप में भी सहममि नहीं हो रहे हैं। एवं दिनांक 18.11.2017 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसकी आराजी से बेदखल करने एवं नाप चौप से सहमत नहीं होने एवं और माट बिखेर देने की धमकियां दी हैं तथा बार बार प्रार्थी की आराजी में हस्तक्षेप कर रहे है। इसलिए प्रार्थी की आराजी का मौके पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई जावे। एवं मौके पर प्रार्थी की ओर से श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थना पत्र माफिक न्याय शुल्क पर पेश है। एंव श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र जरिये नोटिसेज तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 07 बावजुद नोटिसेज तामिल/ सुचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात तथा जमाबन्दी संवत् 2073–76, का गहनता से अध्ययन किया जाकर बहस वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी उक्त विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं तथा अपनी आराजी का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं। लिहाजा विवादित आराजी का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार जैतारण को अधिकृत किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 498/1 रकबा 5–00 बीघा किस्म बारानी दोयम का सीमांकन उभयपक्षकारान के कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु तहसीलदार जैतारण को अधिकृत किया जाता हैं। तहसीलदार जैतारण माफिक आदेश पालना कर रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/03/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner